

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

पत्र सं०- टी-3/योजना(LWE)-03/2016-1209/ प ट ना. दिनांक- 28 / 04 2016
प्रेषक:- विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय - श्रम संसाधन विभाग (प्रशिक्षण पक्ष) के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना "Skill Development in 34 Districts Affected by Left wing Extremism" के अन्तर्गत औरंगाबाद जिले के मौजा रामपुर (नवीनगर) एवं घोड़ाडिहरी (मदनपुन) में एक-एक कौशल विकास केन्द्र (SDC) के भवन निर्माण कार्य हेतु रूपये 64.00 लाख (चौंसठ लाख) मात्र प्रति कौशल विकास केन्द्र (SDC) अर्थात् कुल राशि 128.00 लाख (एक करोड़ अठाईस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि श्रम संसाधन विभाग (प्रशिक्षण-पक्ष), बिहार, पटना के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना "Skill Development in 34 Districts Affected by Left wing Extremism" के अन्तर्गत औरंगाबाद जिले के मौजा रामपुर (नवीनगर) एवं घोड़ाडिहरी (मदनपुन) में एक-एक कौशल विकास केन्द्र (SDC) के भवन निर्माण कार्य का प्रावकलन तकनीकी अनुमोदन सहित भवन निर्माण विभाग के पत्रांक 3115 दिनांक 29/03/2016 द्वारा रूपये 64.00 लाख (चौंसठ लाख) मात्र प्रति कौशल विकास केन्द्र (SDC) हेतु प्राप्त हुआ है। भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त प्रावकलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-16 में रूपये 64.00 लाख (चौंसठ लाख) मात्र प्रति कौशल विकास केन्द्र (SDC) अर्थात् कुल राशि 128.00 लाख (एक करोड़ अठाईस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- इस योजनान्तर्गत राशि का व्यय निम्न शीर्ष से की जाएगी :-

(क) केन्द्रांश :- मुख्य शीर्ष 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60 अन्य भवन, लघु शीर्ष-051 निर्माण मांग संख्या-3, उप शीर्ष 0222 कौशल विकास योजना विपत्र कोड-P4059600510722 के अन्तर्गत कुल राशि 35.00 लाख प्रति कौशल विकास केन्द्र(SDC) अर्थात् कुल राशि 70.00 लाख एवं

(ख) राज्यांश:- मुख्य शीर्ष 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60 अन्य भवन, लघु शीर्ष-784 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-3, उप शीर्ष 0305 कौशल विकास योजना विपत्र कोड-P4059607890305 के अन्तर्गत कुल राशि 11.70 लाख प्रति कौशल विकास केन्द्र(SDC) अर्थात् कुल राशि 23.40 लाख तथा

(ग) राज्य योजना:- इसके अलावे शेष राशि 17.30 लाख प्रति कौशल विकास केन्द्र(SDC) अर्थात् कुल राशि 34.60 लाख का व्यय मुख्य शीर्ष 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष 60 अन्य भवन, लघु शीर्ष -051 निर्माण, मांग संख्या -3 उप शीर्ष-0112 औ प्रो संस्थानों के भवनों का निर्माण / पुर्ननिर्माण / उत्थान विपत्रकोड-P4059600510112 राज्य योजना स्कीम कोड-बी0 यू0 आई0 5579 से किया जायेगा। जो वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रावधानित राशि से विकल्पनीय होगा। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद उपर्युक्त आवंटन के अनुरूप आवश्यकतानुसार ही राशि की निकारी होगी। इस राशि के व्यय में वित्त विभाग के पत्रांक-एम04 5198 -2561वि(2), दिनांक- 17/04/ 98 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3 इस राशि की निकारी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जाएगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4- इस राशि की निकारी जिला कोषागार, औरंगाबाद से की जायेगी।

5 कार्य का भौतिक, वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार एवं निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) को मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

सचिका सं० टी-3/योजना(LWE)-03/2016 के पृ०-A/टि0 पर विभागीय सचिव महोदय की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्तुत तथा पृ०-A/टि0 पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वरामभाजन
A-
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक- टी-3/योजना(LWE)-03/2016-1209 /प ट ना. दिनांक- 28/04/2016
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं नियंत्रण विभाग
(चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के
सचिव/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- टी-3/योजना(LWE)-03/2016-1209 /प ट ना. दिनांक- 28/04/2016
प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, औरंगाबाद/प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया/कार्यपालक
अभियंता, भवन प्रमण्डल, औरंगाबाद/जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/प्राचार्य, औ० प्र० संस्थान
औरंगाबाद/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्राचार्य, औ० प्र० संस्थान, औरंगाबाद को निदेश दिया जाता है कि
निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें।(प्राक्कलन की प्रति संलग्न)

विशेष कार्य पदाधिकारी